

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य / संस्था / बी-1,2 / 45005 / संशो.प्रि.सि.रिटा. / 2023-24(अप्रैल-मार्च) / 9253

दिनांक:-

—:संशोधन-आदेश:—

विभाग द्वारा जारी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति (अधिवारिकी आयु पूर्ण करने पर) आदेश में, निम्नानुसार कॉलम संख्या-4 में उल्लेखितानुसार आंशिक संशोधन एतद् द्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	विभाग का पूर्व में जारी आदेश क्रमांक व दिनांक	नाम अधिकारी मय धारित पद व पदस्थापन स्थान	अपेक्षित आंशिक संशोधन
I.	II.	III.	IV.
1	शिविरा-मा / संस्था / बी-2 / 45002 / उप-प्राचार्य / सं. नि. / 23-24 / 2023 / 14 दिनांक 15.03.2023	DINESH KUMAR VYAS, Principal & Equivalent, GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDAL CHARNAN (211372)	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6 दिनांक 15.03.2023 में क्र.सं. 42 पर अंकित कार्मिक का वर्तमान पद एवं पदस्थापन, Vice Principal (School), GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL JASSUSAR GATE BIKANER (211243) के स्थान पर Principal & Equivalent, GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDAL CHARNAN (211372) पढ़ा जावे।
2	शिविरा / मा / संस्था / सी-6 / रावि / सेवानिवृत्ति / 2023-24 दिनांक 13.03.2023	RAMU RAM MEGHWAL] Principal & Equivalent] GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAJKIYA UCCH MADHYAMIK VIDHAYALYA DECHU (220240)	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6 दिनांक 13.03.2023 में क्र.सं. 159 पर अंकित कार्मिक का वर्तमान पद Lecturer (I Gr.) Political Science के स्थान पर Principal & Equivalent पढ़ा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य / संस्था / बी-1,2 / 45005 / संशो.प्रि.सि.रिटा. / 2023-24(अप्रैल-मार्च) / 9253 / 151-159 दिनांक:- 23/06/2023

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (संयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक।
4. संबंधित संयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. अनुभाग अधिकारी शालादर्पण को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी को व्यक्तिशः पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
8. संबंधित संस्था प्रधान को आदेश की प्रति प्रेषित कर व्यक्तिशः पाबंद किया जाता है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.06.23 17:56:59 IST
Reason: Approved